



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

अति आवश्यक



क्रमांक: एफ 1(35)ग्रावि/नरेगा/वि.भुगतान/2013/ 573

जयपुर दिनांक :

01 MAR 2023

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :- राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (विलम्ब से भुगतान के लिए प्रतिकर) नियम - 2023 के प्रारूप पर आमजन से आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में।


प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 16.02.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15.02.2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया गया था कि राजपत्र की प्रति जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी पं.स. के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर आमजन से आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने हेतु चस्पा कर नियत अवधि में (दिनांक 04.02.2023 तक) आमजन से आक्षेप/सुझाव प्राप्त कर मय आपकी टिप्पणी, अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 10.03.2023 तक भिजवाने हेतु लिखा गया था।

यदि आमजन से नियत अवधि में कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त होते हैं, तो उसकी सूचना मय आपकी टिप्पणी के भिजवाने की व्यवस्था करे। यदि कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं होते हैं तो भी शून्य की सूचना दिनांक 10.03.2023 तक आवश्यक रूप से संलग्न प्रपत्र ई-मेल pdre_rdd@yahoo.com पर भिजवाने का श्रम करावे।


पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(के.के.शर्मा)
परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त सचिव, मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. परियोजना अधिकारी (लेखा), ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस पंचायत समिति समस्त।
6. श्री रिकू छीपा, प्रोग्रामर, ईजीएस को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

विलम्ब से भुगतान के लिए प्रतिकर नियम -2023 के संबंध में सूचना

क.स	जिले का नाम	पंचायत समिति	प्राप्त सुझाव